

भारत सरकार  
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 384

मंगलवार, 5 दिसंबर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

384. श्री हरीश द्विवेदी:

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों और बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) के पंजीयकों के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त योजना से एमएससीएस के सदस्यों को क्या लाभ होने की संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हां, मान्यवर । सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल, अर्थात् [www.crcs.gov.in](http://www.crcs.gov.in) को दिनांक 6 अगस्त, 2023 को लांच किया गया है ।

इसके अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयकों के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को 94.54 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय से एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के आरसीएस पोर्टल (संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सहकारी सोसायटी अधिनियम के आधार पर) के विकास और अनुरक्षण हेतु तथा हार्डवेयर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद के लिए निधि प्रदान की जाएगी । परियोजना के दिशानिर्देश परिचालित किए जा चुके हैं ।

(ग): बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एकीकृत डिजिटल सीआरसीएस पोर्टल बहुराज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण, उपविधियों में संशोधन, वार्षिक विवरणी दाखिल करने, शाखा खोलने, विक्रय अधिकारी की नियुक्ति, अपील, निरीक्षण, जांच, परिसमापन; सहकारी शिक्षा निधि का प्रबंधन; सहकारी पुनर्वास, पुनर्चना और विकास निधि का प्रबंधन, निर्वाचन, इत्यादि सहित बहुराज्य उनके लिए एक संपूर्ण डिजिटल परितंत्र प्रदान करता है । इससे बहुराज्य सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के लिए 'सुगम व्यवसाय' और पारदर्शिता में सुधार होगा क्योंकि ये सभी प्रक्रियाएं डिजिटल और कागज रहित होंगी ।

\*\*\*\*\*